

कार्यालय कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: अधिसूचना :-

क्रमांक/ 7378 /भू-अर्जन/2024 दंतेवाड़ा दिनांक 31.12.2024
चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में

वर्णित भूमि ग्राम पातररास तहसील दंतेवाड़ा बायपास गीदम जनपद से बांगाबाड़ी सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन

1. जिला - दंतेवाड़ा 2. तहसील - दंतेवाड़ा 3. ग्राम - पातररास
4. आक्षेप का निराकरण उपरांत भूमि का क्षेत्रफल - 0.9901 हे०
5. प्रभावित शासकीय भूमि का क्षेत्रफल - 0.770 हे०

क्र०	प्रभावित भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित भूमि का खसरा नं.	प्रभावित रकबा (हे०में)
1.	रामबती पति सुरेन्द्र एवं अन्य 4	निजी	63	0.120
2.	राजूराम पिता अर्जुन	निजी	65/1	0.190
3.	राजमोहिनी पिता मेनूराम	निजी	65/3 65/4	0.0085 0.160
4.	तारामणी बैरागी पिता रामनाथ बैरागी	निजी	65/5	0.158
5.	समबती पिता बृधराम	निजी	65/6	0.0768
6.	अर्चना नाग पिता बलीराम नाग	निजी	65/10	0.0512
7.	सुशीला नाग पति मानसिंह	निजी	65/12	0.200
8.	दिनेश बघेल पिता रूकधर सिंह	निजी	65/14	0.0256
योग:-		-	09	0.9901

शासकीय भूमि का विवरण :-

1.	बड़े झाड़ के जंगल	शासकीय	59	0.150
2.	बड़े झाड़ के जंगल	शासकीय	68	0.620
योग:-		-	02	0.770

वृक्ष का किस्म	महुआ	सागौन	आम	साजा	हलु	बीजा	जामुन	अन्य	धावड़ा	योग
संख्या	01	03	02	04	02	03	01	01	01	18

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मयंक चतुर्वेदी)

कलेक्टर

जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग